

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अपर आमवाला, देहरादून।

सेवा में

प्रधानाचार्य,
परिषद् से सम्बद्ध समस्त पॉलीटेक्निक संस्थान,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 490 / आई0आर0डी0टी0-पाठ्य0 / जी0पी0 / 2024-25

दिनांक: 16. 08. 2024

विषय: परिषद् से सम्बद्ध समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में लागू पाठ्यक्रम में General Proficiency नामक विषय के अन्तर्गत ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स को सम्मिलित करते हुए तत्काल लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है—

“परिषद् से सम्बद्ध समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् समस्त छात्र-छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/कोडिंग/प्रजेन्टेशन स्किल आदि कौशल आधारित शार्ट टर्म ऑनलाईन कोर्सेज का समायोजन प्रशिक्षण योजना में **General Proficiency** के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है।”

अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (Engineering, Textile Design, Garment Technology, Fashion Design) के प्रत्येक सेमेस्टर में General Proficiency के अन्तर्गत ऑनलाईन कम्प्यूटर कोर्सेज को सम्मिलित किया गया है। यह व्यवस्था सत्र 2024-25 से लागू की जा रही है, जिसमें Odd Semester (1st, 3rd & 5th) में यह व्यवस्था अगस्त 2024 से लागू की जा रही है एवं Even Semester (2nd, 4th & 6th) में जनवरी 2025 से लागू की जायेगी। General Proficiency के अन्तर्गत ऑनलाईन कम्प्यूटर कोर्सेज हेतु अंको का विवरण संलग्न दिशा-निर्देशों में दिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि दिशा-निर्देश।


(डा० मुकेश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं० : /आई0आर0डी0टी0-पाठ्य0 / जी0पी0 / 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) को प्रेषित।
3. सचिव उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० मुकेश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।